S A H A R A : T H E U N TO L D S TO RY

Sahara Star has an interesting history. In October 2002, the Sahara Group bought over the 300-room Centaur Airport Hotel on a 30,000 square metre plot, from the Delhi-based Batra Hospitality Pvt Ltd for `115 crore. The deal included the Centaur Airport Hotel, six flats in Andheri east and dealership of a petrol pump across the hotel. Batra Hospitality had bought over this hotel, along with the flats and petrol pump — whose ownership is disputed with Indian Oil Co. Ltd — for `83 crore in February that year. The sale of the airport hotel, belonged to the Hotel Corp. of India Ltd, the wholly-owned subsidiary of Air India, was part of then Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance government’s disinvestment programme, overseen

by disinvestment minister Arun Shourie. This marked Sahara’s entry into the hospitality space.

The directors received a compensation of `20,000 as sitting fee for each meeting. A generous Roy suggested to offer monthly compensation and other perquisites but both Sinor and Manoharan declined the offer. There was also an invitation from the company secretary of Aamby Valley to Manoharan offering him a board seat but the chartered accountant did not respond to the letter; declined it orally. Roy missed very few meetings, including the last one, on 31 October 2011, when Manoharan and Sinor were around. In his absence, OP Srivastava chaired the meeting. One can imagine what he must have felt when the RBI forced his nominees

out and recast the board but he was never bitter towards the independent directors and showed the courtesy of seeing them off at the end of every board meeting that he attended.

 सहारा : अनकही दास्ता

सहारा स्टार का एक रोचक इतिहास हैं...अक्टूबर २००२ में सहारा समुह ने दिल्ली स्थित बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेंट लिमिटेड़ कंपनी से ३०० कमरें वाला सेंटोर एयरपोर्ट होटल ११५ करोड़ रूपये में खरीदा...ये होटल ३०,००० वर्ग *मीटर पर बना* है......इस सौदे में कंपनी के अंधेरी पूर्व में स्थित छह फ्लैट और होटल के सामने वाले पेट्रोल पंप की डीलरशीप भी शामिल थी....हालांकि पेट्रोल पंप को लेकर बत्रा और इंडियन ऑयल के बीच विवाद चल रहा था.....बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेंट लिमिटेड़ ने फरवरी २००२ में ८३ करोड़ रूपये में यह हॉटेल खरीदा था.....

एयरपोर्ट के होटल की बिक्री होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड़ की थी....जो एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी थी....तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गटबंधन सरकार विनिवेश प्रक्रिया काफी जोर-शोर से चला रहा था......ये कार्यक्रम विनिवेश मंत्री अरूण शौरी के नेतृत्व में हो रहा था...सरकार की विनिवेश प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए सहारा ने हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अपना कदम रखा....

 आरबीआई ने सहारा के बोर्ड में दो स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किए....इन दोनों निर्देशकों को प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए २० हजार रूपये फीस के रूप दी जाती थी.....हालांकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने इन दोनों निर्देशकों को मासिक मुआवजे के साथ-साथ अन्य लाभ भी देने का ऑफर दिया था...लोकिन रॉय के इस ऑफर को दोनों निर्देशक सिनौर और मनोहरन ने ठुकरा दिया था.....रॉय ने पेशे से चार्टेट एकाउंटेंट रहे मनोहरन को एंबी वैली के कंपनी सचिव के अलावा बोर्ड में एक सीट देने का प्रस्ताव दिया था....मनोहरन ने रॉय के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया......

 ऐसा बहुत कम ही होता था की रॉय बोर्ड मीटिंग में अनुपस्थिति रहते थे....हालांकि ३१ अक्टूबर २०११ के बोर्ड मीटिंग में रॉय शामिल नहीं हुए थे.....रॉय के अनुपस्थिति में ओ.पी.श्रीवास्तव मीटिंग की अध्यक्षता करते थे....सुब्रत रॉय कितने सौम्य थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की आरबीआई ने बोर्ड में उनके नॉमिनी को हटाकर दो स्वतंत्र निर्देशकों को नियुक्त किया लेकिन इसके बावजूद रॉय के मन में दोनों निर्देशकों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी....

 मनोहरन मानते है की सुब्रत रॉय काफी विनम्र, मिलनसार और असलियत में स्नेहमय हैं....मैंने लोगों को रॉय के पैर छुते देखा...ये एक कर्मचारी और बॉस के संबंध नहीं थे...बल्कि लोग उन्हें पिता जैसा आदर देते थे........मैंने उनमें कभी असहयोग का रवैया नहीं देखा...उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया...उन्होंने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था..उन्होंने ये बाते मुझे चेन्नई में सुब्रमण्यम स्ट्रीट स्थित अभिरामपूरम् में लंच के दौरान कहीं.... दोपहर के “कार्यकारी भोजन” में अचार, सांभर, रसम, दही, चावल, पापडम् और पायसम था.....

 मनोहरन के अनुसार रॉय का दृष्टिकोण काफी व्यावहारिक था....लेकिन साथ ही एक व्यापारी के रूप में उनकी पीड़ा थी....उन्हे खुद पर और उनके सोचने पर लगाए गए प्रतिबंधों की चिंता थी....उनका मानना था की अगर सरकार उनके पंख नहीं कतरती तो वो और भी बहुत कुछ कर सकते थे..वो अद्भुत काम कर सकते हैं....वो महत्वकांक्षी है....उनमें आगे बढ़ने की लालसा है...वो विभिन्न रूपों में इसे पाना चाहते हैं.....वो अक्सर सोचा करते है की आखिर क्यों सरकार उनके व्यापार में बाधा बनकर खड़ी हो गई हैं.....उन्होंने कहा की अगर सरकार ऐसा करना जारी रखेंगी तो वो भारत के बाहर बढने के लिए तरीके खोजेंगे.....श्री राय का मानना है की सरकार को एक नियामक नहीं बल्कि मददगार होना चाहिए....मनोहरन ने मुझे बताया...

 रॉय हर पारिवारिक समारोह में स्वतंत्र निर्देशकों को आमंत्रित करते थे....साथ ही रॉय समारोह में शामिल होने के लिए दोनों निर्देशकों को एयर टिकट और रहने की व्यवस्था की पेशकश करते थे....लेकिन सिनोर और मनोहरन विनम्रता से इनकार कर देते थे....उन्होने कहा की रॉय आतिथ्य में उदार थे.....

 नई बोर्ड ने बांडों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की और प्रतिभूतियों के बारे में ५००-७०० करोंड़ हर महिने जमाकर्ताओं का भुगतान शुरू हुआ..... नकदी प्रवाह पर बारीकी से नजर रखी और आरबीआई को हर चरण की सूचना दी जा रही थी.....मनोहरन और सिनौर ने अक्टूबर २०११ में इस्तीफा दे दिया...SIFCL के जमा दायित्व में २००० करोड़ की कमी हुई और शुद्ध
स्वामित्व वाली धनराशि में 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई....

इस समझौते के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बांडों की बिक्री को मंजूरी देनी पडी और वह पिछले महिने के बिक्री से मिले राशि पर निर्भर थी... बोर्ड ने पाया की यह धारा एक रुकावट है क्यों की निधी को वितरित करने में कुछ सप्ताह लग जाते और वितरण की जांच पड़ताल करने के लिए ऑडिटर को और कुछ सप्ताह लग जाते..

बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक गोपालकृष्ण के समक्ष एक प्रस्तुति पेश की जिससे वे संतुष्ठ नजर आए..... नियामक एक महिने के बाद उपयोग प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए राजी हो गए.....बोर्ड ने भी पाया की जमा राशी चुकाई जा चुकी है ..लेकिन कुछ अवसरों पर सहारा समूह कंपनी में पैसे वापस आ रहे थे क्यों जमाकर्ताओं को अपने पैसे वापस प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं दिख रही थी...जाहिर है, वे अपना पैसा समूह की कंपनियों में निवेश करना चाहते थे.....बोर्ड ने हस्तक्षेप करते हुए कहा की निवेशकों के खाते में राशी प्राप्त होने पर खुद ही समूह के जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हे उसके नाम से चेक जारी करे....

स्वतंत्र निदेशकों ने देखा की कई जमाकर्ता ऐसे है जिनकी जमा राशि पर पिछले छह सालों से कोई दावा नहीं किया हैं...हालांकि सातवें वर्ष में कंपनी ने कुछ जमाकर्ताओं की पहचान कर उन्हें भुगतान कर दिया हैं....बैंकों के विपरित आरएनबीसी को लावारिस पड़ी जमा राशि को सात साल के बाद सरकार के संचित निधि बोर्ड में जमा करने की जरुरत नहीं हैं....बोर्ड ने इस बाबत लेखा परीक्षकों को गौर करने की बात कहीं हैं.....